

प्रेस नोट
दिनांक 03.11.2024, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त भानु प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी पुत्र हरिनरायन द्विवेदी निवासी चांद भानपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को चांद भानपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0स0- 345/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2024 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 रवीन्द्र कुमार रमन मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि ग्राम चांद भानपुर नहर पुलिया के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (05 किलो 200 ग्राम गांजा) बरामद कर अभियुक्त भानु प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी पुत्र हरिनरायन द्विवेदी निवासी चांद भानपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0स0- 345/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भानु प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी पुत्र हरिनरायन द्विवेदी निवासी चांद भानपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 345/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 05 किलो 200 ग्राम गांजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार रमन
02. उ0नि0 अविनाश कुमार विद्यार्थी
03. हे0का0 स्वामीनाथ मौर्य
04. का0 सिराज अहमद

मीडिया सेल, गोण्डा।